न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 160/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/275

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
भुण्डाराम पुत्र मिश्राराम जाति देवणसी निवासी सरदारसमन्द तहसील सोजत जिला पाली		1. मृतक गोकलराम पुत्र राणाराम के वारिसान 1/1 बाबुराम पुत्र गोकलराम जाति देवासी निवासी सांगरिया (झालामण्ड) के पास, जोधपुर, राजस्थान। 1/2 सुगनादेवी पुत्री गोकलराम पत्नी हड़मानराम जाति देवासी निवासी खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर 2. लुम्बाराम पुत्र राणाराम देवासी 3. तुच्छाराम पुत्र राणाराम देवासी निवासीगण सरदार समन्द, सोजत (अप्रार्थी संख्या 2 व 3 फोरमल पक्षकार है, जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहिये) 4. सरपंच ग्राम पंचायत सरदारसमन्द तहसील सोजत

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह जैतावत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/04/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सरदारसमन्द द्वारा मिसल संख्या 11–12/2004–05, संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.10.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 2388 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1, 2 व 3 बावजूद नोटिस तामिली असालतन/वकालतन एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/2 वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के परिवार के सदस्यों के नाम से जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जिसका

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

बंटवाड़ा करीब 50 वर्ष पहले ही राणाराम के पांचों पुत्रों के मध्य हो चुका था। उसमें से एक भाई गोकलराम ने अपने हिस्से में से 1/2 हिस्सा दिनांक 20.01.1986 को शंकरलाल एवं 1/2 हिस्सा दिनांक 01.08.1986 को प्रार्थी के पिता को बेचाण कर दिया। गोकलराम ने उक्त बेचाणनामे में यह अंकित किया कि उक्त भूमि का पट्टा पूर्व में महाराजा के समय से बना हुआ है अर्थात् ग्राम पंचायत से पूर्व से जारी पट्टा सुदा भूमि का पुनः जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत ने लगभग 10584 वर्गफुट क्षेत्रफल का प्रश्नगत पट्टा जारी किया, जो नियमानुसार सहीं नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 पेश कर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाते हुये जारी जैर निगरानी पट्टा को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत सरदारसमन्द द्वारा मिसल संख्या 11–12/2004–05, संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.10.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 2388 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य उज्र यह भी रहा कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है जबकि नियम 157 के तहत 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता जबकि उक्त पट्टा 10584 वर्गफीट का जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 157 का उद्देश्य पुराने गृहों के विनियमितीकरण का है न कि किसी व्यक्ति के पक्ष में बहुत बड़ी भूमि का पट्टा जारी करने का। यदि इस प्रकार 10584 वर्गफीट भूमि का पट्टा एक व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है तो यह इस अधिनियम के मूल उद्देश्य का दुरूपयोग होगा, इसलिये न्यायालय के मत अनुसार पट्टा 10584 वर्गफीट की भूमि से सम्बन्धित है, जबकि 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे पर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, इसकी ताईद में अधिवक्ता प्रार्थी ने गोकुलराम द्वारा शंकरलाल के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 20.01.1986 की प्रति पेश की। उक्त विक्रय विलेख के प्रथम पृष्ट पर यह अंकित है कि ".....उक्त प्लॉट का पट्टा महाराज स्टेट का बना हुआ था जो बाढ़

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

में गुम हो चुका है मगर कब्जा मेरा आज दिन बहैसियत मालिक के चला आ रहा है। उक्त प्लॉट को मैने आज दिन आपको बएवज रूपीया 2000 में बेचाण करना तय कर बेच दिया है।....'' अर्थात् प्रकरण में अप्रार्थी के पूर्वज का यह स्वीकृत कथन है कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में पट्टा बना हुआ है, तो उस तथ्य को पुनः साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad में यह स्पष्ट किया कि Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. उपरोक्त समस्त तथ्यों से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि किसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और दूसरा पट्टा रद्द किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की, जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ''पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।''

इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा, बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से जिस भूमि पर उक्त पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि का पूर्व में पट्टा बना हुआ है। इस प्रकार प्रकरण में प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सरदारसमन्द द्वारा मिसल संख्या 11–12/2004–05, संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.10.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 2388 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड, ग्राम पंचायत सरदारसमन्द को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)